	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 03, सोमवार, शाके 1943-अक्टूबर 25, 2021 *Kartika 03, Monday , Saka 1943- October 25, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 25, 2021

जी.एस.आर.367 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.36(1)गृह-9/09 पार्ट दिनांक 11-08-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[**सं.एफ. 36(1)गृह-9/09 पार्ट**]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 11, 2021

विष अधिनियम, 1919 (1919 का केंद्रीय अधिनियम सं. 12) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, राजस्थान विष आधिपत्य एवं विक्रय नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार राजस्थान विष आधिपत्य एवं विक्रय (संशोधन) नियम, 2021 का प्रारूप, उससे संभाव्यत: प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और उन्हें इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन पर उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इन प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती हैं, पन्द्रह दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात्, विचार किया जायेगा।

किसी भी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे आक्षेप और सुझाव सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर राजस्थान को संबोधित किये जाने चाहिएं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विष आधिपत्य एवं विक्रय (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान विष आधिपत्य एवं विक्रय नियम, 2015, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

""4.परिसरों पर अनुज्ञप्ति का संप्रदर्शन.- इन नियमों के अधीन मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति की प्रति, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कारबार के स्थान में प्रमुख स्थान पर संप्रदर्शित की जायेगी।"""

3. नियम 5 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति " फर्म या कंपनी से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर परिवर्तित या संशोधित किया जा सकेगा और ऐसे आवेदन पर सौ रुपये का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा होगा।"" के स्थान पर अभिव्यक्ति "फर्म या कंपनी से लिखित आवेदन या आनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर परिवर्तित या संशोधित किया जा सकेगा और ऐसे लिखित आवेदन पर सौ रुपये का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा होगा और आनलाइन आवेदन की दशा में, आवेदक सौ रुपये का आनलाइन संदाय करेगा।"" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 6 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

""6. अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन.- (1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने या जारी की गयी अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने की वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रारूप-ख में अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित आवेदन या आनलाइन आवेदन करेगा और नवीकरण की दशा में, अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तारीख से तीन माह पूर्व आवेदन किया जायेगा। अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकरण किये जाने वाले ऐसे लिखित आवेदन पर सौ रुपये का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा होगा और आनलाइन आवेदन की दशा में,आवेदक एक सौ रुपये का आनलाइन संदाय करेगा। जहां नवीकरण के लिए कोई आवेदन उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर नहीं किया जाता है,वहां आवेदक पांच सौ रुपये के न्यायालय फीस स्टाम्प के साथ नवीकरण के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा और आनलाइन आवेदन की दशा में,आवेदक पांच सौ रुपये का आनलाइन संदाय करेगा।

(2) जब मूल खो जाये या नष्ट हो जाये तो अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन, लिखित में या आनलाइन किया जायेगा और लिखित आवेदन पर पांच सौ रुपये का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा होगा और आनलाइन आवेदन की दशा में, आवेदक पांच सौ रुपये का आनलाइन संदाय करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी के कारबार के स्थान में किसी परिवर्तन की दशा में, अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को नवीन आवेदन किया जायेगा। लिखित आवेदन पर पांच सौ रुपये का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा होगा और आनलाइन आवेदन की दशा में,आवेदक पांच सौ रुपये का आनलाइन संदाय करेगा।""

5. नियम 11 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

""**11. विषों और रजिस्टरों का निरीक्षण करने की शक्ति.**- अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 21 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक, किसी भी समय, अनुज्ञप्तिधारी के परिसर, जहां कोई विष विक्रय हेतु रखा गया है, में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा और उसमें पाये गये समस्त विषों का एवं रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा।""

6. नये नियम 18क का अंत:स्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 18 के पश्चात् और विद्यमान नियम 19 से पूर्व निम्नलिखित नया नियम 18क अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

""**18क. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.**- यदि इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों।""

[सं.एफ. 36(1)गृह-9/09 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश से,
वी. सरवन कुमार,
विशिष्ट शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।